

आबकारी की द्वितीय चरण के बाद अव्यस्थित दुकानों का तृतीय चरण की लाटरी में व्यवस्थापन के लिए आवश्यक वैलिडेशन

- किसी आवेदक को एक जनपद में दो ही दुकानें मिल सकती हैं। अतः जो आवेदक प्रथम चरण व द्वितीय चरण में किसी जनपद में दो दुकानें प्राप्त कर चुके हैं, वह उक्त जनपद की अवशेष दुकानों के लिए अर्ह नहीं है।
- जिन आवेदकों को पहले चरण व द्वितीय चरण में दुकानें आवंटित हो गयी हैं, वह अपने पुराने रजिस्ट्रेशन पर आवेदन कर सकते हैं।
- ऐसे आवेदकों को अपने अभिलेख पुनः अपलोड करने/परिवर्तन की सुविधा है।
- अन्य आवेदकों को नया रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- आवेदकों की उम्र चेक करने हेतु दिनांक 20-2-2018 की तिथि अन्तिम है।
- पैन नम्बर की चौथी डिजिट यदि "पी" न हो तो उनका रजिस्ट्रेशन न किया जाय।
- आधार कार्ड का वैरिफिकेशन कर लिया जाय।
- एक मोबाइल नम्बर पर एक ही रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा।
- एक आवेदक एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकता है।
- आवेदक स्वयं को ही सह-आवेदक बनाकर संयुक्त आवेदन न करें।
- आवेदक/सहआवेदक संयुक्त रूप से किसी एक दुकान पर एक ही बार आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक स्वयं एक दुकान पर एक बार तथा सह आवेदक के साथ संयुक्त रूप से एक बार ही आवेदन कर सकता है।
- आवेदक/सह आवेदक की पृथक-पृथक सालवेंसी, जिस दुकान के लिए आवेदन किया जा रहा है, के बराबर अथवा अधिक होनी चाहिए।
- प्रोसेसिंग फीस/जी0एस0टी0 का एक ही पेमेन्ट आनलाइन होगा।
- इसके पश्चात् धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट, जो सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी के नाम से बनवाया जायेगा, उसका उल्लेख पोर्टल पर प्रोसेसिंग फीस के भुगतान के बाद किया जायेगा तथा उसकी स्कैन कापी अनिवार्य रूप से अपलोड करनी होगी।
- प्रोसेसिंग फीस एवं जी0एस0टी0 का भुगतान करने से पूर्व आवेदक स्वयं में संतुष्ट हो ले कि उनके द्वारा अपनी प्रोफाइल एवं दुकानों के लिए भरी गयी सुचनाएं पूर्ण एवं सही हैं। भुगतान करने के उपरान्त किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं होगा।